राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1884 सीसी / स्वाकापु / 2019 / दिनांक :

आदेश

सिविल अपील संख्या 464 / 2019, श्री कुंवरपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने आदेश दिनांक 10.06.19 निम्नानुसार पारित किया :–

"उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में चाहे गये अनुतोष बाबत समस्त बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन अधिकरण का आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करे। उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के समान प्रकरण श्री कमलसिंह में चयनित वेतनमान के संबंध में यदि कोई आदेश जारी किया गया है तो उसके समान आधारो पर ही अपीलार्थी के अभ्यावेदन का भी निस्तारण कर अपीलार्थी को सम्यक रूप से सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने पर यदि अपीलार्थी का कोई अनुतोष शेष रह जाता है तो अपीलार्थी अधिकरण के समक्ष पुनः अपील दायर करने के लिये स्वतंत्र होगा। आदेश आज दिनांक 10.06.19 लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्धोषित किया गया"

प्रकरण में डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट नं. 1068 / 2014 गोविन्ददान चारण बनाम राज्य सरकार व अन्य 6 डी.बी. अपीलों में दिनांक 17.12.2015 के आधार पर निर्णित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

In view of the above discussion, the appeals filed by the appellants are allowed. The order dated 15-4-2014 passed by the learned single judge in all the writ petitions is set aside, the writ petitions filed by the petitioners-appellants are allowed to the extent that the appellants would be entitled to selection grade and get fixation in the pay scale of Rs 975-1720, 1200-2050 and 1640-2900 (5500-9000) on completion of 9] 18 and 27 years of service respectively in terms of judgment in the case of jagdish Narain Chaturvedi (supra) i.e. from the date of regular appointment.

गोविन्ददान चारण के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर किये जाने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं 15809–15815 / 2016 दायर की गई, जो दिनांक 12.7.2016 को खारिज हो गई एवं दायर रिव्यू याचिका भी दिनांक 17.1.2017 को निस्तारित हो गई।

इस प्रकरण में निहित विषयबिन्दु के संबंध में अंतिम निस्तारण गोविन्ददान चारण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है एवं स्थायी समिति द्वारा इस तरह के प्रकरणों में आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित निर्णय के

105

द्वारा इन्हे 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी को विभिन्न आदेशो के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

अपीलार्थी को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार एवं वेतन स्थिरिकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान नही किया गया है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन माननीय अधिकरण निर्णय की पालना के परिपेक्ष्य में याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकःएफ.1884 सीसी/स्वाकापु/2019/1214 दिनांक : 25/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
3. श्री राजेश निगम, स्थाई राजकीय अधिवक्ता (चिकित्सा पक्ष), राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
4. श्री कुंवरपाल पुत्र श्री मवासी राम, निवासी विकास नगर, पानी की टंकी के पास, आर.बी.एम. हॉस्पिटल के पीछे, भरतपुर को द्वारा रजिस्टर्ड पत्र।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज., जयपुर

D \Sandeep Tailor\rajsingh\Order Gyapan doc